खंड 5 संख्या 6

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि 18 दिसम्बर, 1981 ।

विषय-सूची

पृष्ठ

विधान कार्य : सरकारी विधेयक:

(क) विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित बिहार आवश्यक सेवा अनुरक्षण विधेयक, 1981 (सभा द्वारा स्वीकृत) 1—4
(ख) विधान सभा में उद्भूत एवं सभा द्वारा यथापारित बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1981 में परिषद् द्वारा किया गया संशोधन (वि० सं० 6/81 सभा द्वारा स्वीकृत) 4—6
(ग) बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 1981 (वि० सं० 28/81) (स्वीकृत) 6—12
(घ) बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, 1981 (वि० सं० 29/81) (स्वीकृत) 13—19
(ङ) बिहार उद्योग राज्य साहाय्य (संशोधन) विधेयक, 1981 (वि० सं० 30/81) (सभा द्वारा यथासंशोधित स्वीकृत) 19—28
(च) बिहार जोत भूमि अधिक्रमण (संशोधन) विधेयक, 1981 (वि० सं० 31/81 (स्वीकृत): 33-34
जनगणना परिचालन कार्यालय के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के नियोजन के सम्बन्ध में चर्चा

(घ) बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक : (वि० स०29/81)।

श्री शमायले नबी—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुमति दी गयी।

श्री शमायले नबी—मैं बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष—यह विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री शमायले नबी—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981" पर विचार हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981" पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—इसमें एक संशोधन है श्री ब्रज किशोर सिंह का खण्ड 4 में। इसलिए मैं खंड 2 और तीन एक साथ पुट करता हूँ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 और 3" इस विधेयक के अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड-2 और 3" विधेयक के अंग बने ।

श्री ब्रज किशोर सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

विधेयक के खंड 4 के उपखण्ड (1) की पंक्ति तीन में शब्द 'दस हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'पाँच हजार रुपये' रखे जायें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अराजकीय शारीरीक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981 का स्वागत करता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस शिक्षा के विस्तार के लिए हर आदमी को अवसर मिले । इसलिए जुर्माने की रकम जो 10 हजार रुपये का है उसकी जगह पर मैं अनुरोध करता हूँ कि 5 हजार कर दियें जायें ।

श्री शमायले नबी—10 हजार का ही प्रावधान ठीक है ।

(श्री ब्रज किशोर सिंह ने सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लिया ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"खंड 4, 5 और 6" इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 4, 5 और 6" इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"खंड 1" इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 1" विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना" इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"प्रस्तावना" विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"नाम" इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"नाम" विधेयक का अंग बना।

श्री शमायल नबी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981 स्वीकृत हो।

इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना है कि इस तरह के महाविद्यालयों में न प्रशिक्षण की प्रणाली ठीक थी, न प्रबन्ध ही ठीक था, जितना चाहा कैपिटेशन फी लेकर छात्रों का नामांकन किया जाता था और जिसका परिणाम होता था कि बेरोजगारी की संख्या काफी बढ़ जाती थी। शिक्षण, प्रशिक्षण का कोई मापदण्ड नहीं था, धड़ल्ले से इस प्रकार के महाविद्यालयों के खुलने का क्रम सूबे में लग गया था। इसी कारणवश इसके लिए अध्यादेश की आवश्यकता हुई ताकि इन महाविद्यालयों पर नियंत्रण एवं विनियमन किया जा सके। इसके नहीं होने से इस प्रकार की शिक्षा का स्तर गिर रहा था, युवकों के रुपये और समय की बर्बादी हो रही थी, यहां के प्रशिक्षित युवकों को रोजगार मिलना मुश्किल होता जा रहा था इसलिए इस तरह की शिक्षा के गिराने की जो प्रक्रिया थी उस पर काबू पाने के लिए, इस पर नियंत्रण रखने एवं विनियमन लाने के लिए सदन के समक्ष यह विधेयक रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे सहर्ष स्वीकृत करेगा।

श्री युगेश्वर झा—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि राज्य में धड़ल्ले से इस तरह के विद्यालय एवं महाविद्यालय खुल गए थे जिससे अनिश्चितता की अवस्था आ गई थी। ऐसा होने से जो सरकार के द्वारा खोले गए विद्यालय एवं महाविद्यालय हैं वहां से निकलने वाले विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में पड़ता जा रहा था। मैं सरकार से कहूंगा कि वह बहुत सख्ती के साथ इस कानून को राज्य में लागू करे और जो पहले के खुले हुए विद्यालय या महाविद्यालय हैं उनको बन्द करवा दे, लड़कों की संख्या को देखते हुए, लोगों की आवश्यकता को देखते हुए एक तरह का कार्यक्रम चलाए और किस-किस जगह ऐसे प्रशिक्षण विद्यालय या महाविद्यालय की आवश्यकता है इसको देखते हुए इनकी स्थापना करे ताकि लड़कों की

पढ़ाई में सुविधा हो और यह कार्यक्रम ठीक से चले। अभी जो विद्यालय या महाविद्यालय चल रहे हैं उनमें लोगों की इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है इसलिए खूब समझ-बूझ कर आवश्यकतानुसार ही विद्यालय या महाविद्यालय सरकार खोले।

श्री शिवचन्द्र झा—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के संबंध में चंद बातें कहते हुए सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा और यह जानना चाहूँगा कि जिस दिन से यह अध्यादेश लागू हुआ, इस अध्यादेश के निकलने के बाद से इस तरह के विद्यालय या महाविद्यालयों के खोलने में क्या रोक लगायी गयी, इसमें क्या प्रगति हो सकी? अब इस अध्यादेश को परमानेन्ट रूप से ऐक्ट का रूप हमलोग देने जा रहे हैं, तो सदन यह जानना चाहेगा कि इस अध्यादेश के निकलने के बाद से कितने ऐसे विद्यालय या महाविद्यालय खोले गए, इस तरह के विद्यालय या महाविद्यालय नहीं खोलने के लिए किस प्रकार की कारवाई की गई? बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है और यह मैं महसूस करता हूँ कि जिस सख्ती के साथ इसे नियंत्रण करना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। जहां तक कानून की बात है, सरकार के हाथ में ताकत होनी चाहिए, इसे सख्ती से लागू करना चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलिज सम्बन्ध रखता हो, चाहे मेडिकल कॉलेज सम्बन्ध रखता हो, चाहे पॉलीटेकनिक कॉलेज सम्बन्ध रखता हो, चाहे शिक्षक प्रशिक्षण कॉलिज सम्बन्ध रखता हो, सभी जगहों पर सख्ती से कानून को लागू करना चाहिए। आज हमें यह महसूस करना पड़ रहा है कि कानून तो बनते हैं, अध्यादेश निकलते हैं लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजें होती जाती हैं। अब जब हमलोग इस अध्यादेश को परमानेन्ट रूप से कानून का रूप देने जा रहे हैं, तो यह सरकार की जवाबदेही होती है कि इसको पूर्ण रूप से अमल में लाया जाय। इसीलिए मैंने आरम्भ में कहा कि अध्यादेश के निकलने के बाद से जो स्थिति रही है, उसकी समीक्षा कर सरकार को चाहिए कि वह सदन के सामने रखे और इस तरह के जो विद्यालय या महाविद्यालय खुल रहे हैं, उनके सम्बन्ध में जिस अध्यादेश को कानून का रूप देने जा रहे हैं, उसको किस तरह से कारगर इफेक्टिव रूप दिया जाय, सरकार इसपर गंभीरता से विचार करे। इसी निवेदन के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री जयकुमार पालित—अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातों की ओर माननीय मंत्री और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे राज्य में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलिज या इस तरह के अन्य जो संस्थाएँ हैं, उनपर नियंत्रण लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यदि सही माने में इसको देखा जाय, तो इसका कोई माने नहीं रह जाता है। इस संबंध में अध्यादेश

संख्या-160, 1981 लागू हुआ था फिर भी राज्य में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खुलने से रुपए की लूट होती है, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, इसलिए यह विधेयक लाया गया है, जिसे हमलोग कानून का रूप देने जा रहे हैं ताकि इसपर नियंत्रण किया जा सके। पिछले वर्षों में गया में, मुजफ्फरपुर में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज या इस तरह की अन्य संस्थाएं खुली हैं, जिसमें कैपिटेशन फी लेकर लड़कों का नामांकन किया गया था, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इस अध्यादेश के निकलने के बाद किस परिस्थिति में इन लड़कों को परीक्षा देने की अनुमति दी गयी? जब आप ही अध्यादेश का, कानून का वायलेट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के अध्यादेश या कानून बनाने का कोई माने नहीं रखता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार जिस विधेयक को प्रस्तुत करे, जिस कानून को बनाए, उसे सख्ती के साथ लागू करे ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खेलवाड़ नहीं किया जा सके और जो राजनीतिज्ञ या अन्य ऐसे लोग जो इसके पीछे रहते हैं और अपनी जेब भरते हैं, उनका मनोबल आगे न बढ़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से कहना चाहूँगा कि वह जवाब देते समय इस बात को रखे कि किस परिस्थिति में अध्यादेश लागू होने के बाद बिहार राज्य में विभिन्न स्थानों पर इस तरह के कॉलेज या संस्थाएं खोली गयीं और किस परिस्थिति में सरकार द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दी गई और रुपए लूटने की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्रीमती तारा गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करते हुए दो शब्द कहना चाहती हूँ। अभी बिहार में शारीरिक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय नहीं है। मैं जिस पक्ष को जोड़ना चाहती हूँ वह यही है कि बिहार में शारीरिक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय होना चाहिए। अभी महिलाओं के लिए पटना में एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा शारीरिक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय को जोड़ा जाय।

श्री सुरेश प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक-दो शब्द कहना चाहता हूँ। जो विधेयक लाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अभी जो फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं, उनमें लोगों का एडमीशन हो नहीं पाता

है। इसलिए अधिक-से-अधिक लोगों को इनमें एडमीशन हो सके, इसपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

श्री रामाश्रय राय—अध्यक्ष महोदय, बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981 बहुत ही अच्छा विधेयक है। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि कोई भी कानून सरकार बनाती है उसका उस रूप में कार्यान्वियन नहीं हो पाता है, चूंकि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान को छोड़ दिया जाता है, जिससे उसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि पिछले दिनों हर चौराहे पर शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय रातो-रात खोल दिए गए और लाखों-लाख रुपए लोगों से ले लिए गए। आज लाखों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए। इसकी जांच कमिटी भी बनी थी कौंसिल की जिसने अपना प्रतिवेदन भी दिया था। लेकिन जिन लोगों के लाखो रुपए बर्बाद हुए तथा जिन लोगों ने ऐसे प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले उनके विरुद्ध कोई कारंवाई नहीं हुई। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि इस अध्यादेश के जारी होने के बाद से जिन लोगों ने ऐसे महाविद्यालय खोले हैं उनके विरुद्ध कारंवाई की जानी चाहिए।

श्री अजीत कुमार सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ। लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर कोई ऐसी संस्था चलाए तो उसपर कारंवाई होनी चाहिए और उसपर भी रोक लगनी चाहिए। इसलिए इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर कोई संस्था चलाए तो उसपर कारंवाई हो सके।

श्री करमचन्द भगत—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने विचारों से कई तरह के सुझाव दिए हैं। उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने जैसे माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र झा ने शंकाएं व्यक्त की कि अध्यादेश के लागू होने के बावजूद अनेकों प्रशिक्षण विद्यालय इस तरह के खोले गए जिस पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया। हमारे राज्य मंत्री ने इसका प्रस्तुतीकरण के साथ ही साथ सदन को अवगत कराया कि इस विधेयक के पीछे सरकार का एक ही मकसद है कि शिक्षा का स्तर ज्यादा-से-ज्यादा ऊँचा हो। इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण चाहे वह शरीरिक प्रशिक्षण हो या दूसरे तरह का प्रशिक्षण हो, मनमाने तरीके से कैपिटेशन फी लेने के बहाने प्रशिक्षण विद्यालय को स्थापना कर शिक्षक समुदाय में अयोग्य शिक्षक नहीं आ सके, इसलिए इसको किया गया है। माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र झा, श्री रामाश्रय राय एवं श्री जयकुमार पालितजी ने जो कहा कि अध्यादेश के लागू होने के बाद भी कुछ

विद्यालय खोले गए हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर किसी माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी हो कि अध्यादेश के बाद ऐसे विद्यालय खोले गए हैं" इनके प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए कोई विद्यालय बनाए हैं तो उसकी जानकारी हमें दें, हम सख्ती के साथ उस पर कारंवाई करेंगे। यह हमारा सैद्धान्तिक मामला है कि शिक्षा जगत् में योग्य-से-योग्य शिक्षक को लावें। हम सरकारी नीति के अनुसार एक सुनियोजित तरीके से जो शिक्षा जगत् में आना चाहेंगे उनको प्रशिक्षण देंगे ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में हमें सहयोग कर सकें। ऐसे ही लोगों को हम शिक्षक के रूप में लेंगे। इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था। हमारे माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंहजी ने कहा कि इसमें माइनोरिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं है मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था। इसलिए यह सब लोगों पर लागू है। धारा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया जायगा और लगातार उल्लंघन करते रहने पर प्रति दिन एक हजार रुपया का जुर्माना किया जायगा और यह दण्ड गैर-जमानतीय होगा। इसको हम पूरी कड़ाई के साथ लागू करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने इस बिल को पास करने में काफी सहयोग किया है। मैं चाहता हूँ कि इसके संचालन में भी उनका बराबर सहयोग हमें मिले और शिक्षा के क्षेत्र में योग्य-से-योग्य शिक्षक अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूँगा कि सदन इस बिल को पारित कर दे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा अराजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्रायमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1981 स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ङ) बिहार उद्योग राज्य साहाय्य (संशोधन) विधेयक, 1981 (वि० सं० 30/81)।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

बिहार उद्योग राज्य साहाय्य (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।